भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4174
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ

4174. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017 से 2023 के बीच जैसलमेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों के फसल बीमा दावों और कृषि आदान राजसहायता के करोड़ों रुपये के गबन के मामले में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अब तक की गई जाँच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जैसलमेर जिले के फलसूंद क्षेत्र सहित अन्य गाँवों के किसानों के फसल बीमा दावों और कृषि आदान राजसहायता की राशि को धोखाधड़ी से अन्य व्यक्तियों के खातों में जमा कराकर गबन करने के कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) उक्त मामलों में से अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है और उक्त मामलों में दोषी पाए गए बटाईदारों, संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त मामलों के संबंध में किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) किसानों के हितों की रक्षा और ऐसे दावों के निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों में प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, फलसूंद एवं अन्य क्षेत्रों में खरीफ 2021 और 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विधिवत जांच/पूछताछ की गई है।

राज्य सरकार ने आगे बताया है कि ऐसे अन्वेषण के आधार पर, संदिग्ध अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ-साथ कथित रूप से धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों के खातों को 31.08.2023 से फ्रीज कर दिया गया है।

सरकार द्वारा प्रदान की गई कृषि इनपुट सब्सिडी के संबंध में उक्त अवधि के दौरान बैंक या ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर गबन या दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ङ): इस योजना के अंतर्गत धोखाधड़ी वाले आवेदनों को रोकने के लिए, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) में योजना के अंतर्गत किसानों के नामांकन के चरण में विभिन्न सत्यापन और विधिमान्यकरण प्रोटोकॉल जैसे कि किसानों का आधार सत्यापन, PFMS के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ROR के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड सत्यापन, एग्रीस्टैक किसान आईडी सत्यापन और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के साथ बीमित फसल सत्यापन आदि का कार्यान्वयन किया गया है।

इस प्रणाली-प्रेरित सत्यापन प्रोटोकॉल के अलावा, बीमा कंपनियों को बीमा और दावों के लिए स्वीकार किए जाने से पहले किसानों के आवेदनों की गुणवत्ता सत्यापन का कार्य भी सौंपा गया है। नैतिक जोखिम और अनुचित चयन को नियंत्रित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में विस्तृत गुणवत्ता नियंत्रण प्रोटोकॉल प्रदान किए गए हैं।

*****